दिनाक 21.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–21/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.02.2021 को थाना बडौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पट्टी चौधरान के पास से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1048/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- **07 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 चार पहिया वाहन**
- **05 जोड़ी फर्जी नम्बर प्लेट**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 21.02.2021 को थाना कसया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नेशनल हाई– वे 28 पर हेतिमपुर पुल के पास से

07 शातिर वाहन चोरो 1—अक्षय, 2—जयपाल उर्फ इमरान, 3—आतिश, 4—जगदीप उर्फ जग्गी, 5—सागर, 6—तलजिन्दर, 7—एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 05 चार पहिया वाहन, 05 जोड़ी फर्जी नम्बर प्लेट, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस, 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अन्तर्राज्यीय वाहन चोर है, जो पंजाब व हरियाणा राज्य से खड़ी गाडियो का डैश बोर्ड से वायर हटाकर स्कैनर मशीन से कोड करके गाड़ी की चाभी तैयार कर गाडिया चुरा लेते है, तथा उन पर दूसरा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अन्य प्रान्तो में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अक्षय निवासी कैलाना थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा।

2—जयपाल उर्फ इमरान निवासी रेहणा बस्ती गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा।

3—आतिश निवासी बाकनेर नरेला थाना नरेला दिल्ली वेस्ट।

4—जगदीप उर्फ जग्गी निवासी न्यू माडल टाउन जाटल रोड पानीपत थाना माडल टाउन जनपद पानीपत हरियाणा।

5—सागर निवासी जटल थाना माडल टाउन जनपद पानीपत हरियाणा।

6—तलजिन्दर निवासी शिवा थाना पानीपत सिटी जनपद पानीपत हरियाणा।

7—एक अभियुक्ता

बरामदगी

1—चोरी की 05 चार पहिया वाहन।

2—05 जोड़ी फर्जी नम्बर प्लेट।

3—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस।

4—05 मोबाइल फोन।

जनपद सीतापुर/थाना हरगांव

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **21 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 20.02.2021 को थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ककराही ग्राम के दक्षिण स्थित नहर के पास जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त राम नरायन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 21 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद लखीमपुर खीरी व जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हरगांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राम नरायन निवासी निजामपुर निकटी थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1—21 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा(10 निर्मित, 11 अर्द्धनिर्मित) 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर

2—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **21 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 05 कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 21.02.2021 को थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रूखालू–पिपलौती पक्की सड़क के नजदीक गन्ने के खेत से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–इरशाद उर्फ इंसान, 2–रूपेश उर्फ भालू को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 06 निर्मित, 15 अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 05 कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसमें अभियुक्त रूपेश उर्फ भालू के विरूद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरशाद उर्फ इंसान निवासी रूखालू थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

2–रूपेश उर्फ भालू निवासी रूखालू थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–06 निर्मित, 15 अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा, 05 कारतूस

2–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि

जनपद गोण्डा/थाना इटियाथोक

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी की 13 एलईडी टीवी, 02 फ्रिज,**
- **03 वाशिंग मशीन, 02 गीजर, 05 इन्वर्टर, मिक्सी, साउन्ड, कूलर**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस**
- **चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 20/21.02.2021 की रात्रि थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्टेशन के सामने खाली पड़े मैदान से 02 शातिर अभियुक्तो 1–अतीक, 2–परवेज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी के 13 एलईडी टीवी, 02 फ्रिज, 03 वाशिंग मशीन, 02 गीजर, 05 इन्वर्टर, मिक्सी, साउन्ड, कूलर, 01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में चोरी आर्म्स एक्ट आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2021 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इटियाथोक पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतीक निवासी कस्बा व थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

2–परवेज निवासी मेहदी हसन गली स्टेशन रोड थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी के 13 एलईडी टीवी, 02 फ्रिज, 03 वाशिंग मशीन, 02 गीजर, 05 इन्वर्टर, मिक्सी, साउन्ड, कूलर

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस

3–चोरी करने के उपकरण आदि

जनपद बदायूं/थाना उझानी

- **चोरी की घटना का अनावरण 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **लूट/चोरी की घटना में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 20.02.2021 को थाना उझानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–अजीत उर्फ बउआ, 2–प्रद्युम्न, 3–प्रदीप कुमार, 4–विवेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, लूट/चोरी की घटना में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.02.2021 को थाना उझानी क्षेत्रान्तर्गत के0सी0सी0 लोन जमा करने गये व्यक्ति से बैग जिसमें 03 लाख रूपया था अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना उझानी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना उझानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अजीत उर्फ बउआ निवासी बोंदरी थाना कादरचौक जनपद बदायूं।

2–प्रद्युम्न निवासी बोंदरी थाना कादरचौक जनपद बदायूं।

3–प्रदीप कुमार निवासी बोंदरी थाना कादरचौक जनपद बदायूं।

4–विवेक निवासी सकुटिया थाना उझानी जनपद बदायूं।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 03 लाख रूपये नगद

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस

3–लूट/चोरी की घटना में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण आदि

<u>जनपद अयोध्या/थाना मवई</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट का 39 हजार रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20.02.2021 को थाना मवई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेछ घाट बैरियर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्तों 1–अजय, 2–गंगाराम उर्फ रिधनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 39 हजार रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 – 04

अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन थाना मवई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2021 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मवई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय निवासी धम्मुआ थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।

2—गंगाराम उर्फ रिधनी निवासी पूरे लोधे का पुरवा मजरे धम्मुआ थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—लूट का 39 हजार रूपये नगद,

2—लूट का 01 मोबाइल फोन

3—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के चाँदी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 21.02.2021 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खतौली रोड़ कुतुबपुर झाल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी , पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रियासत

घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के चाँदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, गिरफ्तार अभियुक्त थाना मीरापुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2021 धारा 380 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे, अभियुक्त से बरामद माल उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रियासत निवासी गहराबाग खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—चोरी के चाँदी के आभूषण।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद गोरखपुर/थाना गगहा

- **10—10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **48 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 20.02.2021 की रात्रि थाना गगहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर न्यू ओवर ब्रिज के पास से 10—10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त1—दिनेश,

2—विनोद उर्फ डब्बू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 48 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गगहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2019 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वाछिंत चल रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10—10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गगहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिनेश निवासी वरनपुरा थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

2—विनोद उर्फ डब्बू निवासी शम्भूपुरा थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—48 ग्राम अवैध स्मैक।

————————